न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–14/2011–12

सूरज चीक उर्फ सूरजन चीक
बनाम
नियारन मुण्डू

आदेश

अपीलार्थी सूरज चीक उर्फ सूरजन चीक वल्द स्व0 रामेश्वर चीक ग्राम लम्बोई करमापानी थाना जलडेगा जिला सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा SAR वाद सं0–64/2010 (नियारन मुण्डू बनाम सूरजन चीक वगै0) में दिनांक 11.04.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध में यह अपील आवेदन दायर किया है।

अपील सुनवाई हेतु दिनांक 02.08.2012 को अंगीकृत किया गया हैं। उभय पक्षों को उपस्थित होने एवं कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय के SAR अभिलेख की मांग की गई।

उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ है।

दिनांक 12.01.2021 को उत्तरवादी नियारन मुण्डू की पत्नी मीरा मुण्डू ने एक आवेदन देकर सूचित किया कि इस वाद के उत्तरवादी नियारन मुण्डू की मृत्यु दिनांक 30.08.2018 को हो गई है। उनके स्थान पर उनकी पत्नी मीरा मुण्डू को पक्षकार बनाया जाय।

पत्नी मीरा मुण्डू के आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हे पक्षकार के रूप में स्वीकार किया गया।

इस वाद में अंतिम रूप से उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने बहस में निम्नांकित रूप से मुख्य बातें कहीः–

(1) इस अपील वाद में विवादित भूमि मौजा लम्बोई थाना जलडेगा के खाता नं0 139 प्लॉट नं0 16918 रकवा 1.83 एकड़ से संबंधित है।

(2) अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने अपने SAR Case No. 64/2010 में दिनांक 07.04.2011 को आदेश पारित कर विवादित भूमि को विपक्षी नियारन मुण्डू के पक्ष में भूमि वापसी का फैसला करते हुए भूमि पर दखल देहानी अंचल अधिकारी, जलडेगा के माध्यम से करा दिया है, जिसके विरूद्ध यह अपील लाया गया है।

(3) विवादित भूमि पर अंचल अधिकारी द्वारा दखल दिलाने के समय से ही उत्तरवादी दखलकार हुए हैं।

(4) इस विवादित भूमि को अपीलार्थी के पिता चामू चीक वो जगरन चीक ने दिनांक 05.07.1945 को जोहन मुण्डा के पिता गन्दूर मुण्डा से सादा पट्टा से खरीदा है। चामू चीक जीवन भर खरीदी गई भूमि पर जोत आबाद करते रहे। उनके मरने के बाद अपीलार्थी खेती–बारी करते रहे हैं।

वर्ष 1945 में भूमि के खरीद–विक्री करने हेतु उपायुक्त के परमिशन की आवश्यकता नहीं थी।

विवादित भूमि का सादा पट्टा 100/–एक सौ रूपये का है, जो कि रजिस्ट्री नियम के अनुसार वैध है। अपने दावे के समर्थन में सादा पट्टा की प्रति दाखिल किया गया है।

इस विवादित भूमि पर CNT Act की धारा 46 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

विपक्षी नियारन मुण्डू द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय में 64 साल बाद केस फाईल किया है। जो कि CNT Act की धारा 71A के अधीन पोषणीय नहीं है। CNT Act में भी भूमि वापसी केस के लिए 30 साल का समय लिमिट किया गया है। जबकि नियारन मुण्डू द्वारा 64 साल बाद केस भूमि वापसी केस फाईल किया गया है जो लिमिटेशन एक्ट से बाधित है ।

अपीलार्थी का भूमि पर Adverse Possession हक कायम हो चुका है। इसलिए भी अपीलार्थी का अपील स्वीकृत करने योग्य है। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाय एवं अपील स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी नियारन मुण्डू/मीरा मुण्डू के विज्ञ अधिवक्ता ने कहा कि इस अपीलवाद की विवादित भूमि मौजा लम्बोई के खाता नं0 139 प्लॉट नं0 16918 रकवा 1.83 एकड़ भूमि उनकी खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत जोहन मुण्डा वल्द गन्दूर मुण्डा है। विपक्षी खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है। मालगुजारी सरकार को देते आ रहे हैं। विवादित भूमि कृषि योग्य है। घर मकान नहीं बना हुआ है। अपीलार्थी का अवैध कब्जा था, जो अब मुक्त हो चुका है।

भूमि के हस्तांतरण में CNT Act की धारा 46 का उल्लंघन हुआ था, इसलिए अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा ने भू–वापसी का आदेश पारित किया है, जो सही है। इसलिए अपील आवेदन खारिज किया जाय।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि आदिवासी खाते की है। विवादित भूमि का खतियानी रैयत एवं पंजी ।। रैयत जोहन मुंडा वल्द गन्दुर मुंडा है।

भूमि का हस्तानान्तरण 100 (एक सौ) रूपये अंकित मूल्य के साथ सादा पट्टा के आधार पर किया गया है जो हस्तानान्तरण हेतु वैध दस्तावेज नहीं है। विवादित भूमि पर किसी प्रकार की Substantial Structure नही है। अतः स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का उतरवादी के पक्ष में पारित भूमि वापसी का आदेश विधि सम्मत् है।

अतः निम्न न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाता है एवं अपीलार्थी का अपील खारिज किया जाता है।

24.01.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

लेखापित एवं संशोधित

24.01.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 11:38:52 +05:30
Location: 192.168.0.115